जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का सीधे जनता से हो निर्वाचन

खरीद फरोख्त से लग सकती है रोक, जब नगरीय निकायों के चुनाव सीधे जनता से तो फिर जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के क्यों नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना,15 जुलाई।मोहन सरकार ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया. अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी. इसके लिए चर्चा के बाद मध्य प्रदेश नगर पालिका को संशोधन विधेयक-2025 विधानसभा में पास कर दिया गया. संशोधन विधेयक में मतदाताओं को निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है.

अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान एक बार ही अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया की जा सकेगी। जो एक सरकार का अच्छा निर्णय कहा जा सकता है लेकिन नगरीय निकायों की तरह जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का भी चुनाव यदि सीधे जनता से होने लगे तो सत्ता के दबाव एवं खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकती है क्योंकि जिले मे जिला पंचायत, जनपद अध्यक्ष एवं नगरीय निकायों के चेयरमैनों का चुनाव चुनाव चूंकि जनता से नहीं हुआ और किस तरह से सत्ता का दुरूपयोग एवं खरीद फरोख्त हुई है जो किसी से छिपी नहीं है। वही माननीय नगरीय निकायों के चेयरमैन जनपद तथा जिला पंचायतों के अध्यक्षगण जो सत्ता के दबाव एवं खरीद फरोख्त कर धन बल के सहारे अध्यक्षी का ताज प्राप्त किया वे आज किस तरह से नगरीय निकायों एवं पंचायती राज मे खुलेआम लूटमार मचाये हुये हैं जो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए नगरीय निकायों की तरह जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन भी सीधे जनता से हो तो सत्ता के दुरूपयोग सहित धन बल के सहारे अध्यक्ष बनने वालों के सपने कभी पूरे नहीं होंगे।

वापस बुला सकेंगे अध्यक्ष, एक बार मिलेगा मौका:- नगर पालिका संशोधन विधेयक में चुने हुए अध्यक्ष को वापस बुलाने का अधिकार भी मतदाताओं को दिए जाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र के आधे से ज्यादा मतदाता द्वारा वोट किए जाने पर अध्यक्ष को हटाया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया तब शुरू होगी जब निर्वाचित 3 चौथाई पार्षद कलेक्टर को प्रस्ताव सौंप दें। बताया गया है की पहले ढाई साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था। अब इसे 3 साल कर दिया गया है. जनता अब जनप्रतिनिधि को 3 साल बाद ही वापस कर सकेगी।

कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के फैसलों को पलट दिया था

साल 1994 में महापौर और अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षद चुनते थे, लेकिन साल 1997 में दिग्विजय सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की. इसके बाद साल 1999 से 2014 तक सीधे जनता ने महापौर और अध्यक्ष को चुना, लेकिन साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी. इससे एक बार फिर पार्षदों को अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिल गया. 2022 में बीजेपी सरकार के दौरान पार्षदों ने ही अध्यक्ष चुने थे. मेयर को जरूर सीधे जनता ने चुना था. अब मोहन सरकार में 2027 के चुनाव में जनता सीधे अध्यक्ष को चुनेगी।

अब सीधे चुने जाएंगे नगर निकायों के अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद अध्यक्षों डायरेक्ट होंगे. के चुनाव विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया. अब नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष को चुनाव लड़ना होगा. अभी तक पार्षद ही अपने बीच में से अध्यक्ष को चुनते आए हैं. संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए निर्वाचित हो सकेगा, लेकिन निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से 7 दिन के अंदर किसी एक पद से अपना इस्तीफा देना होगा।

सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे लोग

प्रतिबंध के बावजूद नहीं मान रहे लोग

नवभारत न्यूज

पन्ना,15 जुलाई। जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न वाटर फाल एवं मानसून पर्यटन स्थलों पर सेल्फी लेने एवं नजदीक जाने पर प्रतिबंध लगाया है बावजूद आए दिन लोग इसका उल्लंघन करते हुए मानसून पर्यटन स्थलों पर सेल्फी एवं रील बनाना नही चूक रहे।

जिले के प्रसिद्ध मानसूनी पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड, पवई-कटनी मार्ग स्थित सरसवाही चांदा फॉल, किलकिला कुंड एवं अन्य जल प्रपातों पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच हादसों के प्रति लोग नहीं चेत रहे हैं। इन पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्थानों तक पहुंच सेल्फी और रील बना रहे हैं। बारिश के मौसम में जलप्रपातों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चट्टानें बेहद फिसलन भरी हो रही हैं। इसके बावजूद कई युवा सेल्फी और रील बनाने के जुनून में सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ पर्यटक झरनों के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाते हैं, तो कई लोग नीचे उतरकर पानी में तैराकी करने लगते हैं। ऐसे दृश्य हर वर्ष देखने को मिलते हैं, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर न तो पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न ही खतरनाक क्षेत्रों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था है।

कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी या तो नहीं है या उनकी स्थिति ऐसी है कि पर्यटक उन पर ध्यान नहीं देते। बृहस्पति कुंड और सिल्वर चांदा फॉल में लापरवाही से मौत के हर साल मामले सामने आते हैं। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नीचे उतर रहे हैं। इतना ही नहीं तैराकी करते गहरे झरने के नीचे पहुंच रहे हैं। जहां पानी धुंआदार होता है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पर इन युवाओं को रोकना तो दूर कोई टोकने वाला तक मौजूद नहीं है।

नीलामी न होने से मिट्टी में तब्दील हो रहे सरकारी कंडम वाहन

नवभारत न्यूज

पन्ना,15 जुलाई।जिले में विभिन्न विभागों द्वारा समय- समय पर शासकीय कार्यों के लिए क्रय किये गये वाहन जो कि पूरी तरह से अनुपयोगी हो गये हैं तथा किसी भी काम के नहीं रह गये हैं। कार्यालय परिसरों में वर्षों से पड़े हुए धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। कई कार्यालयों में स्थिति यह हो गई कि तीस साल से भी अधिक पुराने हो चुके वाहन रखे हुए हैं जिनका सालोंसाल उपयोग नहीं हो रहा है।

इन वाहनों को कार्यालयों के आसपास खुले क्षेत्र में रख दिया है। जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और मिट्टी में मिल रहे हैं यदि नीलामी समय से हो जाती तो अवश्य शासन के खाते में कुछ संतोष जनक राशि आ सकती थी लेकिन विभागयी अधिकारियों की लापरवाही से अब कुछ मिलना नामुमकिन दिख रहा है। कण्डम हो चुके वाहनों के हिस्से भी धीरे-धीरे बर्बाद होकर गायब हो चुके हैं। स्थिति अब यह हो गई है। कि कुछ वाहनों के अवशेष ही रह गये हैं। वर्षों से पड़े यह अनुपयोगी हो चुके वाहन जहां पर रखे हुए हैं, उस क्षेत्र की न तो सफाई हो पा रही है और न ही जमे हुए कचरे को हटाया जा रहा है, जिससे बदबूदार गंदगी भी कार्यालयो की आबोहवा खराब कर रही है। कण्डम पडे वाहनों की तस्वीरें इस रूप में देखी जा सकती हैं कि जहां पर वह रखे हुए हैं वहां पर वाहन ही जमीन को खोदकर जमीन के अंदर धंस गये हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में वर्षों पुराने हो चुके वाहन कई सालों से अनुपयोगी होने के बाद खड़े कर दिए जाने के बाद लगभग पूरी तरह से खराब हो चुके हैं जो कि अब सडक़ में किसी भी स्थिति में चलने के लायक नहीं हैं और अब इनकी बिक्री कबाड़ के लिए ही की जा सकती है। जानकारों के अनुसार शासन द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों को इस बात के लिखे गये पत्र में आदेश जारी किये जा चुके हैं कि कबाड़ हो चुके वाहनों की प्रक्रिया अनुसार नीलामी की कार्यवाही की जाये, किंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा शासन के आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर वाहनों से प्राप्त होने वाली राशि जिसकी यदि समय पर नीलामी हो जाती तो इससे राजस्व की प्राप्ति भी होती जिसका नुकसान हो चुका है। वहीं कबाड़ वाहनों की वजह से जहां पर इनको खड़ा करके रखा गया है उस क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। कण्डम वाहनों को डिस्पोज करने के मामले में उदासीनता बरती जा रही है। जिला पंचायत परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए करीब चालीस साल पुराना वाहन लंबे समय तक सामाजिक न्याय कार्यालय के समीप रखा रहा। धीरे-धीरे कलपुर्जे भी समाप्त हो गये और अब इस वाहन को सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय के पीछे उठाकर रख दिया गया है जो कि लगभग समाप्त हो गया है। जिला पंचायत परिसर में ही संचालित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पीछे भी कण्डम जीप परीक्षा शाखा के पास पडी हुई है। इस वाहन की स्थिति यह हो गई है कि जहां पर वाहन रखा हुआ है वहां पर धीरे-धीरे बने गड्ढे में ही वाहन धंस गया है और वाहन के इस तरह से रखे रहने से वहां न तो साफ-सफाई हो रही है न ही वाहन को हटाया जा रहा है।

होम स्टे पर्यटन योजना फ्लाप, युवाओं को नहीं मिला रोजगार

महंगे होटलों के स्थान पर घर में पर्यटकों को रुकने की सुविधा देकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी योजना

नवभारत न्यूज

पन्ना,15 जुलाई। होमस्टे पर्यटन योजना को साकार करने के लिये जिले में कुछ चर्चायें तो हुई और पंजीयन को लेकर जोर दिया गया किंतु यह योजना केवल कागजों तक चर्चा करने तक ही सीमित रह गई।

उल्लेखनीय है कि पर्यटन विकास निगम द्वारा बड़े और महंगे होटलों के स्थान पर घर में पर्यटकों को रूकने की सुविधा देकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये होमस्टे पर्यटन योजना शुरू की गई थी। इस संबंध में पर्यटन विकास निगम में होमस्टे पंजीकृत करवाने के लिये भी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। किन्तु कितने होम स्टे पंजीकृत हुये आज तक पता नहीं चल पाया। इसके लिये जिले के टाइगर रिजर्व आसपास के गांवों में होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाने पर पूर्व में सुझाव भी दिये गये किन्तु वहां तक इस योजना का मैसेज पहुचा या नहीं पहुचा यह भी अज्ञात है।

नवाचार के रूप में था प्रोजेक्ट:- बताया गया था कि ग्रामीण पर्यटन होमस्टे तथा फार्मस्टे जैसे नवाचार इसलिये। किये जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को महंगे होटलों के स्थान पर घर जैसे वातावरण में रहने की सुविधा दी जाती है। घर में ही दो या तीन कमरे सामान्य सुविधाओं अच्छे फर्नीचर तथा भोजन की सुविधा के साथ होमस्टे योजना में पंजीयन हो सकता है।

पंजीयन की ऑनलाइन भी हो सकता है। अपने घर में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देने के लिये केवल स्वच्छता और सुरक्षा ध्यान देने की आवश्यकता है। किन्तु इसमें कितनी प्रगति हुई यह केवल बातों तक ही सीमित है।

निगम ने कितनी प्रोत्साहन राशि दी?

कहा गया था कि पर्यटन विकास निगम पंजीयन फीस के अलावा कोई राशि नहीं लेगा। पर्यटक से मिलने वाली पूरी राशि होम स्टे संचालक की होगी। यह भी बताय गया था कि साल में यदि 50 दिन होमस्टे व्यवसाय होता है तो निगम संबंधित व्यक्ति को 15 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि भी देगा। इसलिये निगम को बताना चाहिये कि उसने कितनी प्रोत्साहन राशि वितरित किया? योजना के प्रचार प्रसार में भी निगम सहयोग देगा। इस तरह की बातें तो हुई किन्तु अभी तक योजना साकार रूप नहीं ले पाई। बताया गया कि होमस्टे योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों का विनिमय, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, पर्यटन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना तथा पर्यटन के लिये अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था करना है। जब कोई पर्यटक किसी व्यक्ति के घर में रूकता है तो वह स्थानीय व्यंजन, कला, गीत-संगीत, शिल्पकला, कपड़े, परंपरा, त्यौहार आदि से अधिक गहराई से परिचित होता है। होटल में रूकने पर यह सुविधा नहीं होती है।

एक साल में ही उखड़ गईं अजयगढ़ से पन्ना सड़क की परतें,खतरे का है अजयगढ़ का सफर

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जुलाई। पन्ना से अजयगढ़ तक 32 किलोमीटर लंबा मार्ग एक बार फिर अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में है। महज एक वर्ष पहले एमपीआरडीसी द्वारा लगभग 30 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन यह मरम्मत एक साल भी नहीं टिक सकी।

आज स्थिति यह है कि मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं और सबसे अधिक खतरनाक हालात अजयगढ़ घाटी में हैं, जहां सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन आए दिन अनियंत्रित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। एमपी-यूपी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग यह मार्ग पन्ना जिले को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन इस सड़क से सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन, यात्री बसें, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहन गुजरते हैं। बावजूद इसके सड़क की नियमित देखरेख और समय पर मरम्मत नहीं होने से इसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बारिश के बाद गड्ढे और गहरे हो गए हैं। इससे वाहन चालकों को काफी सावधानी के साथ सफर करना पड़ रहा है। अजयगढ़ घाटी का हिस्सा सबसे अधिक संवेदनशील माना जा रहा है। घाटी में मोड़ और गहरे गड्ढे दुर्घटना की आशंका को कई गुना बढ़ा रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए

यह मार्ग सबसे अधिक जोखिमभरा बन गया है। हर साल लापरवाही सड़क की मरम्मत में हर साल लापरवाही की जाती है। बीते वर्ष भी बारिश के पहले ही सड़क बदहाल हो गई थी। तब तत्कालीन कलेक्टर की सख्ती के बाद एमपीआरडीसी ने पन्ना-अजयगढ़ मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था। तब भी लोगों ने मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे। नतीजन गुणवत्ताहीन मरम्मत साल भर नहीं चल पाई। लोगों की मांग है कि केवल औपचारिक पैचवर्क से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सड़क की गुणवत्ता के साथ स्थायी मरम्मत कराई जानी चाहिए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाए, ताकि जनता के धन का सदुपयोग हो और लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित एवं सुगम सड़क मिल सके।

एनएच 39 सतना-बमीठा मार्ग भी बदहाल

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 पर बने गहरे और बड़े-बड़े गड्ढों ने इस मार्ग को हादसों का रास्ता बना दिया है। वाहन चालक हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश के बाद सड़क की हालत और अधिक खराब हो गई है। जगह-जगह जलभराव होने से गड्ढों की गहराई दिखाई नहीं देती। इससे दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को सड़क की मरम्मत की मांग भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। यह मार्ग पन्ना सहित आसपास के कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। बावजूद इसके इसकी मरम्मत को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन मिल सके।

काली कमाई छिपाने वाले लोक सेवकों की हो सकती है समीक्षा एवं कार्यवाही

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जुलाई। हर सरकार लोक सेवक अपनी आय से अधिक अर्जित की गई संपत्तियों को छिपाना चाहता है। वहीं कानून कहता है कि यदि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है तो वह अबैध है एवं वह ब्लैक संपत्ति है। लिहाजा इस तरह की संपत्ति को जप्त किया जाना चाहिये।

बावजूद इसके कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी, यहां तक कि कई ब्यूरोक्रेट भी अपनी काली कमाई को छिपाने का प्रयास करते हैं। नियम है कि हर लोक सेवक को प्रतिवर्ष अपने अचल संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिये। पहले यह जानकारी आपलाईन प्रस्तुत की जाती थी किन्तु 2017 के बाद आनलाईन जमा करने के निर्देश हो चुके है। लिहाजा अब आनलाईन जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। बावजूद इसके कई अधिकारी व कर्मचारी अभी भी अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक करने में कोताही करते हैं।

सरकारी सेवा में रहते हुये करते हैं कई तरह के कारोबार:- यह भी देखा जाता है कि कर्मचारी व अधिकारी सरकारी पदों पर रहते हुये कई तरह के कारोबार करते हैं। कोई रियल स्टेट का कारोबार करता है किन्तु उसके पास इसका कोई बैध आधार नहीं होता। वही कोई टेन्ट हाउस या अन्य तरह के कारोबार करने लगता है। किन्तु इस तरह के लोक सेवा अपनी अचल संपत्तियों की जानकारियों में साईड बिजनेश की जानकारी कभी नहीं देते। इसी तरह से कई कर्मचारी व अधिकारी मलाईदार पदों में होने के कारण आय से अधिक संपत्तियां अर्जित करते हैं। किन्तु उसका भी कोई हिसाब नहीं होता। इस तरह की संपत्तियों को वे एक नबर की करने के लिये अचल संपत्तियों की खरीदी करते हैं। जहां अपने परिवार के लोगों या अन्य नजदीकी लोगों के नाम पर बेनामी संपत्तियों का अर्जन करते हैं। काली कमाई में अंकुश लगे और भ्रष्टाचार में नियंत्रण हो, सिस्टम में ईमानदारी रहे इसी उद्येश्य से हर सरकारी कर्मचारी के लिये प्रतिवर्ष संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किये जाने के नियम व निर्देश हैं। किन्तु होता कुछ और हैक्योंकि यहां काली कमाई को ही सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

31 जनवरी तक प्रस्तुत करना था संपत्ति का ब्यौरा

ज्ञात हो शासन के निर्देशानुसार सभी कर्मचारी अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। वह तिथि अब बीत चुकी है और फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। किन्तु अंतिम तिथि तक कितने कर्मचारी अधिकारियों ने ईमानदारी का परिचय देते हुये अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया और कितने नहीं दे पाये। अब इसका हिसाब होना है। जिन कर्मचारी अधिकारियों ने अचल संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की उनके बारे में प्रथम दृष्टया यही समझना चाहिये कि वे अपनी संपत्तियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए अब भवन पूर्णता : प्रमाण की जरूरत नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 15 जुलाई। फायर सेफ्टी को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की गई है । जिसमें भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र की जरूरत फायर सर्टिफिक्रेट जारी करने के समय नहीं होगीं । इसको लेकर शासन के पत्र में कुछ असमंजय की स्थिति बनी थी, जिसकी वजह से नगरीय निकायों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भवनों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और भवन अधिभोग जारी करने की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश भर के नगर निगमों के लिए स्पष्ट दिशा -निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट मार्गदर्शिका जारी करने का अनुभव किया था। कि मध्यप्रदेश नगर अधिनियम ,1956 की धारा 301 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम ,1961 की धारा 191 के प्रावधानों का पालन सभी भवनों पर लागू होगा, चाहे उनमें फायर सेफ्टी सेर्टिफिक्रेट के अनिवार्यता हो या नही। निदेशों के अनुसार जिन भवनों में नियमानुसार फायर सेफ्टी सर्टिफिक्रेट अनिवार्य है, उन मामलो में पहले संबंधित विभाग स फायर सेफ्टी सेर्टिफिक्रेट प्राप्त किया जायेगा। इसके बाद ही भवन का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र जारी । करने की प्रक्रिया आगे बढाई जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फायर सेफ्टी सर्टिफिक्रेट के लिए आवेदन करते समय भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जबकि इस स्तर पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । फायर सेफ्टी को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। शासन की ओर से निर्देशों में आपसी विरोधाभास की स्थिति थी, जिसकी वजह से नगर निगमों के सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही थी ।

ग्राम पंचायतों में बन गए करोड़ों रुपए के चबूतरे, भौतिक सत्यापन करने विभाग अब तैयार नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 जुलाई। ग्राम पंचायतों में चबूतरा निर्माण के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ है। स्वीकृत कार्यों की तुलना में पचास प्रतिशत कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो पाये। पोर्टल का डाटा बताता है कि कई वर्षों तक चबूतरा निर्माण के कार्य प्रगतिरत के रूप में दिखते रहे जहां कहीं मनमानी तरीके से राशि तो खर्च होती रही किन्तु आज तक स्वीकृत किये गये कार्य पूर्ण नहीं हुये।

एक बड़ी अनियमितता की ओर संकेत करता है। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक ऐसे कार्यों की न तो कोई जांच हुई और न ही भौतिक व वित्तीय सत्यापन ही करवाया गया।

कहां बने सैकड़ों चबूतरे- प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्षों में जिले में सैकड़ों चबूतरे स्वीकृत किये गये। यदि इसका औसत लागत यदि तीन लाख भी मान ली जाय तो चबूतरा निर्माण के नाम पर अब तक करोड़ों से अधिक राशि खर्च हो चुकी है।

किन्तु ग्राम पंचायतों में न तो इन चबूतरों का कहीं दर्शन होता है और न ही कोई उपयोग।

कोई भी योजना नहीं बची जिसका उपयोग नहीं हुआ- चबूतरा निर्माण में ऐसी कोई भी योजना नहीं बची होगी जिसके माध्यम से चबूतरा निर्माण के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये होंगे। 14वां वित्त, 14वां वित्त परफारमेंस ग्रान्ट, 5वां राज्य वित्त, विधायक निधि, स्वकराधान, विंध्य विकास, राज्य वित्त जिला पंचायत, राज्य वित्त जनपद पंचायत आदि कई योजनाओं से चबूतरा निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये। किन्तु किसी भी योजना में ऐसे कार्यों के संबंध में कोई रोक नहीं लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पंचपरमेश्वर योजना से चबूतरा निर्माण के कार्य स्वीकृत हुये।

हालांकि पंचपरमेश्वर योजना को खाओ पियो योजना भी माना जाता है। जहां प्रारंभ से ही इस योजना के कार्यों को लेकर कई तरह की शिकायतें होती रही। इसी प्रकार 14वें वित्त एवं 5वें वित्त की राशि का भी चबूतरा निर्माण के नाम पर दुरूपयोग पंचायतों द्वारा किया गया है।

आखिर कई वर्षों से कार्य अपूर्ण होने का कारण क्या है?

बड़ा सवाल यह है कि जो कार्य एक सप्ताह में पूरा हो जाना चाहिये वह चार साल, पांच साल एवं दस साल तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? ऐसे कार्यों पर यदि शासन की योजनाओं की करोड़ों की राशि खर्च होती है उसे निष्फल क्यों नहीं माना जाना चाहिये। इसके अलावा दोषी लोगों से निष्फल व्यय की वसूली क्यों नहीं होनी चाहिये? किन्तु जिला पंचायत से लेकर जनपदों तक पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐसे प्रकरणों को स्वयं संज्ञान आज तक नहीं लिया। लिहाजा करोड़ों की राशि भ्रष्टाचारियों की जेब में चली गई।

कोई मानक निर्धारित नहीं

देखा जाता है कि हर कार्य का एक मानक होता है, एक निर्धारित माडल होता है, जहां एक सीमा तक ही राशि खर्च की जा सकती है। किन्तु चबूतरा निर्माण के लिये कोई मानक आज तक निर्धारित नहीं हो पाया। लिहाजा कोई पंचायत उसे डेढ़ लाख में तो कोई दो लाख में और कोई पांच और सात लाख में बना रही हैं। जो जितना अधिक हजम कर सकता है उतनी राशि इस कार्य के नाम पर स्वीकृत कर रहा है। पिछले कुछ समय से तो चबूतरे का एक नया माडल भी तैयार किया जा चुका है जिसे छतदार चबूतरा कहा जाता है। यानी पहले चबूतरे के निर्माण के नाम पर हजम करें फिर उसके ऊपर छत के निर्माण के नाम पर राशि हजम करो। इस तरह से चबूतरे के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार एक प्रमाणित मामला है। आवश्यकता केवल यह है कि इसकी जांच कौन करता है और कब करता है। यदि इस तरह के मामलों में ईओडब्ल्यू कभी संज्ञान लेगा तो कोई भी पंचायत आरोप से शायद नहीं बच पायेगी।